मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

पत्र क्रमांक एफ
50-4/2020/20-3

दिनांक- 22/12/2020

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो पालक अपने बच्चों का शिक्षण शुल्क अभी भी जमा नहीं कर रहे हैं उन्हें अगली कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रमोट ना किया जाए

के.के. द्विवेदी
उप.सचिव
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा
विभाग भोपाल

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 50–4/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 22.12.2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबध में।

संदर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2020, 16.05.2020, 04.09.2020 एवं 09.12.2020

विषयांतर्गत समसंख्यक विभागीय परिपत्र दिनांक 24.04.2020 तथा उक्त आदेश के अनुक्रम में जारी विभागीय परिपत्र दिनांक 16.05.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए अशासकीय विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह भी निर्देशित किया गया था कि विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ का नियमित वेतन भुगतान किया जाए, अभिभावकों पर कोई बिलंब शुल्क प्रभारित नहीं किया जाए, फीस की एक मुश्त अदायगी हेतु बाध्य नहीं किया जाए तथा फीस जमा न किए जाने के कारण किसी छात्र–छात्रा का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाए।

2/ इस विषय पर मान. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर द्वारा विभिन्न अशासकीय विद्यालयों एवं पालकों के संगठनो की याचिकाओं के संबंध में निर्णय दिनांक 04.11.2020 द्वारा कोरोना महामारी रहने तक की समयावधि हेतु निर्देशित किया गया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत शिक्षण सत्र 2020–21 में अशासकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालय द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकेगी। विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जायेगा। यदि वेतन कम किया जाता है तो 20 प्रतिशत से अधिक कम नहीं किया जा सकता तथा कम किया गया वेतन भी स्थिति सामान्य होने पर सामान्य

Scanned with CamScanner

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो पालक अपने बच्चों का शिक्षण शुल्क अभी भी जमा नही कर रहे है उन्हें अगली कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रमोट ना किया जाए।

4/ उक्त परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन अवधि में पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लॉकडाउन अवधि के लिए जारी किए गए थे। वर्तमान में लगभग सभी क्षेत्रों में सशर्त अनलॉक की अनुमति दी गई है। अनलॉक की प्रकिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालय, उपकम तथा सेवाऍ आरंभ हो चुकी है एवं पालकों से यह अपेक्षित है कि वे मान. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2020 के अनुसार निर्देशित शुल्क नियमित रूप से जमा करें। साथ ही अशासकीय विद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ के वेतन के भुगतान विषयक मान. उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन हेतु भी यह आवश्यक है कि अभिभावक निर्देशित शुल्क जमा करें। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 44–4/2019/20–3 दिनांक 15.12.2020 से हायर सेकण्डरी स्कूलों के नियमित संचालन की अनुमति दी गई है।

5/ उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत अशासकीय विद्यालय इस बात हेतु स्वतंत्र होंगे कि वे मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 अनुसार निर्देशित इस सत्र की सभी कक्षाओं की बकाया फीस पालकों से सत्रांत तक सुविधानुसार एकमुश्त अथवा किश्तों में प्राप्त कर सकें। शासनादेश दिनांक 15.12.2020 के अनुकम में जो कक्षाऍ नियमित रूप से संचालित की जाएगी, उन कक्षाओ के संबंध मे संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी विद्यार्थियों से जनवरी से सत्रांत तक की अवधि के लिए संबधित विद्यालयों द्वारा फीस प्राप्त की जा सकेगी।

22/12/20

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव,
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ 50–4/2020/20–3

भोपाल, दिनांक 22.12.2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र., भोपाल।
3. निज सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निज सचिव, मान. सदस्य बाल अधिकार आयोग, म.प्र.।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र., भोपाल।
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल।
10. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. निदेशक, मध्यप्रदेश ओपन बोर्ड, मध्यप्रदेश।
13. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल।
14. सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल।
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
16. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. आर्डर बुक।

22/12/20

उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner